COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES
कोर्ट फ़ी Rs 20

(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. /2018 पुनर्विलोकन – 6361/2018/शिवपुरी/भू.रा.

1. दर्पखो बेवा श्री धानीराम जाटव
2. बलवीर पुत्र धानीराम जाटव
3. दयाचन्द पुत्र धानीराम जाटव
4. मुन्नी पुत्री धानीराम जाटव
5. रेखा पुत्री धानीराम जाटव
6. मातादीन पुत्र रतन लाल जाटव
7. पुरुषोत्तम पुत्र रतन लाल जाटव
8. रामकली पुत्री रतन लाल जाटव
9. सोमवती पुत्री रतन लाल जाटव
10. रतीराम पुत्र पन्नू जाटव

निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला शिवपुरी

--- आवेदकगण

॥ मूल प्रकरण में अनावेदक ॥

बनाम

1. श्रीमती मिथलेश अष्ठाना पत्नी स्व. सुशील वहादुर अष्ठाना निवासी देवीपुरम कालोनी सरकूलर रोड शिवपुरी जिला शिवपुरी म.प्र. -- असल अनावेदक

॥ मूल प्रकरण में आवेदक ॥

2. हरिमोहन पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम वडोदी सडक जिला शिवपुरी म.प्र.
3. मंगल सिंह पुत्र हरिसिंह यादव
4. रघुवर सिह पुत्र श्री हरि सिंह यादव

प्रमोद गौड़ एडवो. आदि 26-11-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-11-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 26-11-18
27/11/18

5. बिन्नों बाई पुत्री हरि सिंह यादव

6. सिरदार सिंह पुत्र फूल सिंह यादव

7. धीर सिंह पुत्र फूल सिंह यादव

8. नारान्दे पत्नी फूल सिंह यादव

9. मोतीलाल पुत्र चिंटू यादव

10 निवासीगण ग्राम रातौर तहसील व जिला ग्वालियर म.प्र.

11. सुरेश चन्द पुत्र ज्ञानी चन्द जैन , निवासी महल कालोनी शिवपुरी म.प्र.

---- अनावेदकगण

{मूल प्रकरण में एक पक्षीय}

पुर्नविलोकन अन्तर्गत धारा 51 भू – राजस्व संहिता आदेश दिनांक 29.10.2018 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर पारित द्वारा श्री एस.एस. अली सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 3315/2017 पुनरीक्षण ।

श्रीमान जी,

सेवा में मूल प्रकरण के अनावेदक क्रमांक 10 लगायत 19 की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है ।

1. यह कि, अनावेदक क्रमांक 1 जो प्रकरण क्रमांक 3315/2017 पुनरीक्षण में आवेदक था तथा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आवेदकगण पुनरीक्षण प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 10 लगायत 19 थे तथा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 9 पुनरीक्षण प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 9 थे उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु / 6361 / 18 / शिवपुरी / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19–12–18	आवेदक की ओर से श्री प्रमोद गोहदकर उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भूरा / 2017 / 3315 में पारित आदेश दिनांक 29.10.18 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।प्रकरण क्रमांक रिव्यु / 6361 / 18 / शिवपुरी / भूरा के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भूरा / 2017 / 3315 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 29.10.18 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण में रिव्यु / 6361 / 18 / शिवपुरी / भूरा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो	

आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य